

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2391]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940

No. 2391]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2018/ASHADHA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 20 जून, 2018

का.आ. 3140(अ).—यतः, मै. आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के हिल नम्बर—3, गाँव माधुरवाडा, जिला विशाखापटनम् में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनिधसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम स.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	अनधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ. २१६० (अ)	28.12.2006	36	_	36
(ii)	का.आ. ३५०७ (अ)	16.12.2015	ı	6.37	29.63

और यतः, मै. आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड ने अब 1.62 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप—धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1.62 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 31.25 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः—

3627 GI/2018 (1)

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्र.सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	माधुरवाडा	410	1.62
		कुल	1.62
उपयुक्त ज	ोड के पश्चात एसईजेड क	31.25	

[फा.सं. एफ.2/61/2006-एसईजेड] बी. बी. स्वेन. अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2018

S.O. 3140(E).—Whereas, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Hill No. 03, Madhurawada, Visakhapatnam, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below;

S.No.	Notification No.	Date	Notified Area in Hectares	De-notified area in hectares	Total Area in Hectares
	S.O. 2160 (E)	28.12.2006	36	-	36
	S.O. 3507 (E)	16.12.2015	-	6.37	29.63

AND, WHEREAS, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC) has now proposed to include an area of 1.62 hectares as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **notifies an additional area of 1.62 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **31.25 hectares**, comprising the survey number and the area given below in the table, namely:—

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

S.No.	Name of village.	Survey No.	Area in hectares
1.	Madhurawada	410	1.62
	Tota	1.62	
	Grand total area of SEZ after above	31.25	

[F.No. F.2/61/2006-SEZ]

B.B. SWAIN, Add. Secy.